[12/7/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 206]

परिशिष्ट ''अ''

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक -206

जिला बैतूल में 1358, डिंडोरी में 842 एवं मण्डला में 1185 राजस्व ग्राम है। सभी राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है उनमें बडे झाड, छोटे झाड के जंगल मद एवं पहाड चट्टान, रास्ता, चरनोई, पानी के नीचे, आबादी गौठान मद में इमारती लकड़ी या ईंधन, चारागाह, घास, कब्रस्तान तथा श्मशान भूमि गोठान, शिविर भूमि, खलिहान, बाजार, पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे लोक प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाती है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-7

परिशिष्ट ''ब''

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक -206

बैतूल- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4.(1) के तहत वनमंडलाधिकारी (सा.) उत्तर में 114 वनखंडो (वन विकास निगम बैतूल को हस्तांतरित 16 वनखंड भी शामिल) में शामिल 112 ग्रामों की 16332.444 है. भूमि 145 संरक्षित वनकक्षो एवं प्रस्तावित 51 वनखंडो में शामिल 34 ग्रामों की 1425.778 है. भूमि 51 वनकक्षो में शामिल की गई है, वनमंडलाधिकारी (सा.) दक्षिण में अधिसूचित 292 सीमांकित संरक्षित वनखण्डों में 248 ग्रामों की 34657.192 हे. भूमि वनभूमि 320 संरक्षित वनकक्षों में शामिल की गई है एवं वनमंडलाधिकारी (सा.) पश्चिम में 156 वनखंडों में शामिल 117 ग्रामों की 23578.00 हे. भूमि 179 वनकक्षों में एवं प्रस्तावित 56 वनखंडों में शामिल 23 ग्रामों की 1795.101 है. भूमि 55 वनकक्षों में शामिल की गई है। उल्लेखित भूमि वनमंडल की प्रचलित कार्य आयोजना में शामिल है। 2. **जिला डिण्डौरी** अंतर्गत निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में दर्ज 369 ग्रामों की 9552.94 हे.भूमि वन विभाग ने संरक्षित वन सर्वे, नारंगी वन सर्वे, संरक्षित वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान में म.प्र.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-5/43/90/10-3/96 भोपाल दिनांक 14 मई 1996 द्वारा वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन कर आरेंज एरिया के नाम से वन प्रबंधन में लिया गया है। 3. **जिला मण्डला** अंतर्गत निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में दर्ज कुल 1185 ग्रामों में से **609** ग्राम वन विभाग द्वारा संरक्षित वन सर्वे, नारंगी वन सर्वे, संरक्षित वन खंड, नारंगी वन खंड एवं वर्किंग प्लान में शामिल कर ली है जो निम्नानुसार है- पश्चिम- कुल ग्राम 344 रकबा 8207.09 हे. पूर्व- कुल ग्राम 198 रकबा 5378.87 हे. बफर जोन- कुल ग्राम 67 रकबा 701.39 हे. कुल ग्राम 609 रकबा 14287.**35** हेक्टेयर पश्चिम सामान्य वनमण्डल अंतर्गत 158 ग्राम रकबा 3687.27 हेक्टेयर में वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचना जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। भू राजस्व संहिता 1959 के तहत वन विभाग को अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान करने के प्रावधान नहीं है।लेकिन कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख मण्डला के पत्र क्रमांक 1920 दिनांक 02/09/2004 के तहत पश्चिम सामान्य वनमण्डल अंतर्गत 158 ग्रामों की सशर्त सहमति प्रदान की गई है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-7

Scanned with OKEN Scanner